

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/१०८६-१२

दिनांक :- 7.11.2025

कार्यालय आदेश

श्री बाबूलाल बिजारनिया, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) (रोल नं. 754424) कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर के पत्र दिनांक 26.06.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 08.04.2025 से 20.04.2025 तक (कुल 13 दिवस)

उक्त 13 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री बाबूलाल बिजारनिया, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(अमिता शर्मा)

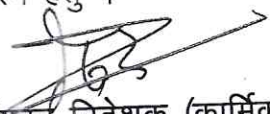
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 7.11.2025

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/१०८६-१२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जालसू, जयपुर-प्रथम।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3 श्री बाबूलाल बिजारनिया, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)